

उनवानी प्रकरण:- सरकार बनाम पुरुषोत्तम


मु.न:- 01./2026

कि0मु0:- प्रार्थना पत्र

धारा 136 एल.आर. एक्ट

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय निशियल्स जज	नम्बर व तारीख
07.01.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पुरुषोत्तम पुत्र रामकिशोर निवासी फरिया के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी ग्राम फरिया के सम्बत् 2080-2083 के खाता संख्या 104 में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम परसराम के स्थान पर सही नाम पुरुषोत्तम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया गया। जिसकी जांच तहसीलदार खण्डार द्वारा करवाये जाने पर तहसीलदार खण्डार से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम पुरुषोत्तम है जिसे दुरुस्त किये जाने की अभिशंषा की गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी का सही नाम पुरुषोत्तम होना अंकित है।</p> <p>प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम फरिया के सम्बत् 2080-2083 के खाता संख्या 104 में परसराम पुत्र रामकिशोर के स्थान पर सही नाम परसराम उर्फ पुरुषोत्तम पुत्र रामकिशोर शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	




उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

